सं0सं0 संख्या–9 / पी0–03–37 / 2025–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
उप सचिव–1 (प्रबंधन)

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना

/ पटना, दिनांक–

विषयः– श्री रामानुज पंडित (आई0डी0–जे0–7745), सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (असैनिक), सिंचाई प्रमंडल, बांका को आदेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा श्री रामानुज पंडित (आई0डी0–जे0–7745), सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (असैनिक), सिंचाई प्रमंडल, बांका को आदेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि–31.10.2024 है।

श्री पंडित के पक्ष में वांछित प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने निमित्त निम्नलिखित अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न हैः–

1. दीर्घकालीन अग्रिम बकाया प्रमाण–पत्र
2. विभागीय बकाया रहित प्रमाण पत्र
3. आवासीय बकाया रहित प्रमाण पत्र

उल्लेखनीय है कि उक्त बकाया रहित प्रमाण पत्र के बावजूद यदि भविष्य में कोई अधिक भुगतान या बकाया का मामला विभाग के संज्ञान में आता है तो इसकी वसूली श्री पंडित के देय सेवांत लाभ से कर ली जायेगी।

अतः अनुरोध है कि श्री रामानुज पंडित (आई0डी0–जे0–7745), सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (असैनिक) के नाम वांछित प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु0ः यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(संजय कुमार)
उप सचिव–1(प्रबंधन)

निबंधित

ज्ञापांक– पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव–1 (प्रबंधन)

कृ0पृ0उ0

निबंधित

ज्ञापांक– पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री रामानुज पंडित, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (असैनिक), पता–ग्राम–चीरोडीह, डाकघर–रिखिया, थाना–रिखिया, जिला–देवघर, राज्य–झारखंड, पिन–814113, मो0नं0–9934266653 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव–1 (प्रबंधन)

ज्ञापांक– 4738 पटना / दिनांक– 28/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/10/26
उप सचिव–1 (प्रबंधन)
28.10.26